

13/7/17 आज यह पत्रावली पेशी में  
ली गई। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। प्रकरण दिनांक 15/11/16  
से सम्बन्धित है। प्राचीन एवं अपापी  
ना एक ही परिवार से सम्बन्ध  
रखते हैं। हकों का निर्धारण मूल  
वाद में तय होना है। दिनांक 15/11/16  
को जारी स्पष्ट आदेश ताफैसला  
दावा कानूनम फिर जाने से किसी  
पक्ष को नुकसान नहीं है बल्कि  
परिवार में आगे विवाद नहीं बढ़ने  
में सहायक ही है। अतः उपरोक्त  
विवेचन स्वरूप दिनांक 15/11/16  
को जारी स्पष्ट आदेश ताफैसला  
दावा कानूनम किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से काम की  
जाकर मूल वाद को सलाम है।  
आदेश सुनाया गया।

सत्यमेव जयते  
सहायक क्लर्क

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

